तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6-12-17	वकील उभयपक्ष उपस्थित पुनः बहस सुनी गई वास्ते आदेश पत्रावली 14-12-17 को पेश हो [signature]	
14-12-17	वकील उभयपक्ष उपस्थित वास्ते आदेश पत्रावली 27-12-17 को पेश हो [signature]	
27-12-17	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक संघ द्वारा कार्य स्थगित रखा वास्ते आदेश पत्रावली 4-1-18 को पेश हो [signature]	
4-1-18	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 7-2-18 को पेश हों। [signature]	
7-2-18	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित आदेश सुनाया गया वाद वादीगण डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो [signature] उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, बून्दी

दावा सं. 64/दावा/15 पीठासीन अधिकारी - गरिमा लाटा R.A.S.

दायरा दिनांक - 11.09.15

उनवान

1. मोहनलाल आयु 60 वर्ष आत्मज श्री तेजाजी जाति बैरवा निवासी बलकासा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राजस्थान

2. सोहनलाल आयु 56 वर्ष आत्मज श्री तेजाजी जाति बैरवा निवासी बलकासा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राजस्थान

3. श्रीमति कमलेश बाई आयु 50 वर्ष पुत्री श्री तेजाजी जाति बैरवा पत्नी श्री आशाराम जाति बैरवा निवासी विजयनगर तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी

- वादीगण

बनाम

1. महावीर आयु 25 वर्ष पुत्र श्री गोबरिया जाति बैरवा निवासी रेलवे स्टेशन घाट का बराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

2. मनोज आयु 20 वर्ष पुत्र श्री गोबरिया जाति बैरवा निवासी रेलवे स्टेशन घाट का बराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

3. राजू आयु 28 वर्ष पुत्री श्री गोबरिया जाति बैरवा पत्नी श्री नामालुम जाति बैरवा निवासी रेलवे स्टेशन घाट का बराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी ।

4. सोनिया आयु 16 वर्ष पुत्री श्री गोबरिया जाति बैरवा नाबालिग जर्ये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति बिसरी बाई बेवा श्री गोबरिया जाति बैरवा निवासी रेलवे स्टेशन घाट का बराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

5. श्रीमति बिसरी बाई आयु 65 वर्ष बेवा श्री गोबरिया जाति बैरवा

क्रमश...

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

निवासी रेलवे स्टेशन धार का बराना तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी

(6) देवी शंकर आयु 62 वर्ष आत्मज श्री नैनगा जाति बैरवा निवासी खेड़ा डाबर बम्बोरी तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान

(7) सोनू आयु 25 वर्ष आत्मज श्री छोट्या जाति बैरवा निवासी खेड़ा डाबर बम्बोरी तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान

(8) सुनील आयु 20 वर्ष आत्मज श्री छोट्या जाति बैरवा निवासी डाबर बम्बोरी तहसील दीगोद जिला कोटा

(9) श्रीमति द्वारका बाई आयु 60 वर्ष बेवा श्री छोट्या जाति बैरवा निवासी खेड़ा डाबर बम्बोरी तहसील दीगोद जिला कोटा

(10) श्रीमति जानकी बाई आयु 50 वर्ष पुत्री श्री नैनगा जाति बैरवा निवासी खेड़ा डाबर बम्बोरी तहसील दीगोद जिला कोटा।

(11) मदन लाल आयु 45 वर्ष आत्मज श्री प्रभूलाल जाति बैरवा निवासी धरावन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

(12) राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़, तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 59, 92 A आर.टी. एक्ट

निर्णय

दिनांक - 7.2.18

वादीगण द्वारा एक वाद जर्ये अधिवक्ता पेश किया गया। वादपत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है— वाद पत्र की चरण सं. 1. में वर्णित आराजी खाता सं. 28 कुल किता 10 कुल रकबा 6.46 है. वाके ग्राम धरावन पटवार क्षेत्र धरावन तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है जिसके राजस्व रिकार्ड में गोबरिया वल्द

क्रमशः....

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

नाथ्या हिस्सा 1/2, पाना बेवा शंकरिया हिस्सा 1/2 कौम चमार साकिन देह खातेदार दर्ज है। गोबरिया की मृत्यु हो चुकी है। गोबरिया का फौती नामान्तकरण सं. 335 दिनांक 7.03.2015 से मृतक गोबरि-या के स्थान पर उसके वारिसान प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 का नाम हिस्सा 1/2 दर्ज हुआ। पाना बेवा शंकरिया का देहान्त हो चुका है। शंकर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी पाना बाई का नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज हो गया और उसकी दोनो पुत्रियाँ गंगा बाई व कस्तूरी बाई का नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज नही हुआ जबकि गंगा बाई व कस्तूरी बाई मृतक शंकर की पुत्रियाँ होने से उसकी वारिसान व उत्तराधिकारी थी तथा सह हिस्सेदार थी। वादीगण गंगाबाई के वारिसान है तथा प्रतिवादीगण 6 लगा. 10 कस्तूरी बाई के वारिसान व उत्तराधिकारी है। वादीगण का वाद वर्णि-त आराजी में 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण 6 लगा 10 का 1/4 हिस्सा बनता है। वादीगण को अधिकार है कि वाद वर्णित आराजी में 1/4 हिस्से पर अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाते हुए उक्त भूमि का विभाजन करवाये व अपने हिस्से में आने वाली भूमि को अपने पृथक-पृथक खातेदारी में दर्ज करवाये व प्रतिवादी-गण 1 लगा 5 व 11 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये। इसी आशय की प्रार्थना वादपत्र के अन्त में की गयी।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगा. 5 व 10 व 11 बाद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी व 8 लगा 10 भी नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं. 6 व 7 के अधिवक्ता द्वारा जवाबदावा पेश नही करने का कथन नियत पेशी पर करने से जवाबदावा बन्द किया

क्रमशः-

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

बम्बारा तहसील दागाद जिला [illegible] राजस्थान

गया।

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी सम्वत् 2067-2071 ग्राम धरावन प्रदर्श सं. 1 व शंकरलाल व पाना बाई का मृत्यु प्रमाण पत्र, नकल जमाबंदी सम्वत 2035-2038 नकल नामा. सं. 82 ग्राम धरावन, असल तहरीर गंगाबाई के पक्ष की, ग्राम पंचायत नोताड़ा (धरावन) का प्रमाण पत्र 88/2017-18 पेश किये। मौखिक साक्ष्य में वादी PW1 मोहनलाल का शपथ पत्र पेश किया गया।

नियत पेशी पर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण द्वारा वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वाद वर्णित आराजी पैतृक कृषि भूमि है। शंकर आत्मज कान्हा का फौती नामान्तकरण उनकी बेवा पाना बाई के नाम दर्ज किया जबकि शंकर की दो पुत्रियां - गंगा बाई व कस्तूरी बाई का उत्तराधिकार के अनुसार हिस्सा बनता था। श्रीमती पाना बाई बेवा शंकर की मृत्यु हो चुकी है उसकी वारिसान उसकी दोनो पुत्रियां श्रीमती गंगाबाई व श्रीमती कस्तुरी बाई थी उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। वादीगण गंगाबाई के पुत्र है व प्रतिवादीगण 6 लगा 10 कस्तुरी बाई के वारिसान व उत्तराधिकारी है। उक्त कृषि भूमि मे वादीगण का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण 6 लगा 10 का 1/4 हिस्सा बनता है। इसी अनुरूप वादीगण व प्रतिवादीगण वादपत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि में संयुक्त रूप से कृषि काश्त करते चले आ रहे हैं। वर्तमान मे राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि के 1/2 हिस्से पर मृतक पाना बाई पत्नी शंकर का नाम दर्ज चला आ रहा है। वादीगण व प्रतिवादीगण को कृषि विकास कार्य हेतु बैंक आदि से ऋण लेने में असुविधा रहती है। वादीगण को वादपत्र की वर्णित आराजी के 1/4 हिस्से पर अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने व अपने हिस्से की भूमि को विभाजन करवाये व पृथक-पृथक खातेदारी दर्ज करावे। प्रतिवादी सं 1 लगा 5 व 11 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned by CamScanner

मैंने अधिवक्ता वादीगण की एक पक्षीय बहस को ध्यानपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। जमाबंदी खाता सं. नया 28 जो कि प्रदर्श सं. 1 है में पाना बेवा शंकरया हि. 1/2 कौम चमार सा. देह खातेदार दर्ज है। पाना बाई का मृत्यु प्रमाण की प्रतिलिपि संलग्न की गयी है। पाना बाई की दिनांक 27.07.1987 को मृत्यु हो चुकी है। शकर पि. खाना का फौती/विरासतन नामान्तकरण पाना बेवा शंकरया के नाम नामा. सं. 82 दि 17.12.78 से स्वीकृत हुआ है। ग्राम पंचायत मौताडा (धरावन) के पत्रांक gp-1/2017-18 दिनांक 27.12.17 के अनुसार शंकर पुत्र कान्हा के वारिसान कस्तुरी बाई व गंगाबाई है। दोनो पुत्रीयों कस्तुरी बाई व गंगाबाई भी फौत हो चुकी है। इस प्रकार पत्रावली के संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है तथा शंकरया की मृत्यु के बाद राजस्व रिकार्ड में फौती नामान्तकरण केवल शंकरया की बेवा पाना बाई के नाम ही खुला जबकि शंकरया की दो पुत्रीयां गंगाबाई व कस्तुरी बाई भी मौजूद है। अतः साक्ष्य शपथ पत्र PW1 मोहनलाल पुत्र तेजा जी जाति बैरवा का ~~PW2~~ पेश किया गया है का भी अवलोकन किया।

उक्त सम्पूर्ण विवेचन के उपरांत वादीगण का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण को वाद वर्णित आराजी खसरा सं. 60 रकबा 0.04 है., खसरा सं. 72 रकबा 0.01 है., खसरा सं. 84 रकबा 0.52 है. खसरा सं. 86 रकबा 1.59 है. खसरा सं.

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

क्रमशः ---

Scanned by CamScanner

191 रकबा 0.15 है॰, खसरा सं॰ 547 रकबा 1.18 है॰, खसरा सं॰ 782 रकबा 0.10 है, खसरा सं॰ 927 रकबा 0.90 है॰ खसरा सं॰ 928 रकबा 1.54 है, खसरा सं॰ 1016 रकबा 0.93 है॰. कुल किता 10 व कुल रकबा 6.46 है॰ ग्राम धरावन पटवार क्षैत्र धरावन पर वादीगण को 1/4 हिस्सा का खातेदार तथा प्रतिवादीगण 6 लगा 10 को 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक पाना बेवा शंकरया का नाम विलोपित किया जावे तथा उसके स्थान पर वादीगण तथा प्रतिवादीगण 6 लगा॰10 का नाम दर्ज किया जावे।

इसी अनुरूप वाद डिक्री जारी हो

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नाबेरी (तूंदी)

Scanned by CamScanner

FD डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

व इजलास सुश्री शारिमा लोटा आर.ए.एस.

1 मोहनलाल आत्मज तेजाजी जाति बैरवा निवासी बलकासा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी वगैरह (वादीगण) बनाम 1 महावीर पुत्र गोवरिया जाति बैरवा निवासी रेल्वे स्टेशन घाट का बराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी वगैरह प्रतिवादीगण PT.0→2

दावा बाबत 88 89 59 92A आर-टी-एक्ट

मुकदमा नम्बर 64/ डाया /15 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमरे व हाजिरी श्री बालाला बीटा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 हवाला खसरा नया 28 वाके ग्राम घाशवन तहसील इन्द्रगढ़ में वर्णित कुल खसरा किता 10 योग रकबा 6.46 हैक्टर कृषि भूमि पर वादीगण को हिस्सा 1/4 का कृषक खातेदार तथा प्रतिवादीगण 6 लगायत 10 को हिस्सा 1/4 का कृषक खातेदार घोषित किया जाता है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे मृतक पाना वेवा शंकरया का नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण तथा प्रतिवादीगण 6 लगायत 10 का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है बाबत खर्चा इन

निज मुबलिग फीसदी सालाना आज की तारीख

मुकद्दमें के मय सूद बशरह का अदा करें।

से तारीख अदायगी तक 7-2-2018 माह

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख

सन को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फांर्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Scanned by CamScanner

2. सोहनलाल पुत्र तेजाजी जाति बैरवा निवासी बलकासा तहसील केशवराय
3. श्रीमति कमलेशबाई पुत्री तेजाजी जाति बैरवा ~~निवासी~~ पत्नी अय... विजयनगर तहसील केशवरायपाटन जिला-बून्दी

---वादीगण---

बनाम

1. महावीर पुत्र गोवरिया जाति बैरवा निवासी रेल्वे स्टेशन घाट का बराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला-बून्दी
2. मनोज पुत्र गोवरिया जाति बैरवा निवासी रेल्वे स्टेशन घाटका बराना तहसील इन्द्रगढ़
3. राजु पुत्री गोवरिया जाति बैरवा पत्नी नारायण निवासी स्टेशन घाटका बराना तहसील इन्द्रगढ़
4. सोनिया पुत्री गोवरिया (ना.बा.) जाति बैरवा संरक्षक माता विसरीबाई बेवा गोवरिया निवासी रेल्वे स्टेशन घाट का बराना तहसील इन्द्रगढ़
5. श्रीमति विसरीबाई बेवा गोवरिया जाति बैरवा निवासी रेल्वे स्टेशन घाटका बराना तहसील इन्द्रगढ़
6. देवीशंकर पुत्र नैनगा जाति बैरवा निवासी खेडा डाबर बम्बोरी तहसील दीगोद जिला कोटा (राज.)
7. सोनू पुत्र छोटया जाति बैरवा निवासी डाबर बम्बोरी तहसील दीगोद जिला-कोटा
8. सुनील पुत्र छोटया जाति बैरवा निवासी डाबर बम्बोरी तहसील दीगोद
9. श्रीमति धरकाबाई बेवा छोटया जाति बैरवा निवासी खेडा डाबर बम्बोरी तहसील दीगोद जिला-कोटा
10. श्रीमति आनन्दीबाई पुत्री नैनगा जाति बैरवा निवासी खेडा डाबर बम्बोरी तहसील दीगोद जिला कोटा
11. मदनलाल पुत्र प्रभुलाल जाति बैरवा निवासी घारावन तहसील इन्द्रगढ़ बून्दी
12. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला-बून्दी

---प्रतिवादीगण---

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner